

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-23, दिनांक- 03/04/2024

विषय: भवनों में अग्नि सुरक्षा के उपाय के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गर्मी के दौरान विभिन्न कारणों से बहुमंजिले इमारतों/भवनों में आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिसके मद्देनजर जान-माल की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है :-

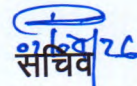
1. **भवनों का निर्माण:** भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड/बिहार भवन उपविधि के अनुरूप ही कराया जाय।
2. **विद्युत उपकरण :** विद्युत प्रभार के अनुपात में ही भवनों में मानक विद्युत तार व उपकरण लगाए जाये तथा समय-समय पर जाँच करायी जाये। साथ ही, भवनों के सभी तलों पर पंखा/लाईट/ए०सी० तथा अन्य विद्युत संबंधित उपकरणों को बंद करने के लिए व्यक्ति/कर्मियों को नामित किया जाए।
3. **फायर ऑडिट :** भवनों का नियमित रूप से फायर ऑडिट करायी जाय तथा अग्निशामक प्राधिकार द्वारा दिये गए निर्देशों/सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. **स्वचालित यंत्र :** भवनों के सभी तलों के कमरों/गलियारों में स्मोक डिटेक्टर/वॉटर स्प्रींकलर/फायर अलार्म आदि अधिष्ठापित किया जाए, जिससे अग्निकांड की स्थिति में तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके और आग पर काबू पाया जा सके।
5. **अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन :** पर्याप्त संख्या में विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन कराया जाय। अग्निशमन यंत्रों की Expiry Date एवं Refilling अनुश्रवण हेतु जिम्मेवारी दी जाए।
6. **अग्निशमन यंत्रों का संचालन :** अग्निशमन यंत्रों के संचालन प्रक्रिया को सभी तलों पर चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए एवं कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जाए।

f

7. **आपातकालीन सम्पर्क** : अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से भवन में आपातकालीन सम्पर्क नम्बर भवन के सभी तलों पर बड़े अक्षरों में लाल रंग से प्रदर्शित किया जाय। भवन के सभी तलों पर अग्निसुरक्षा पदाधिकारी तथा अग्निशमन यंत्र बनाने वाली एजेंसी का मोबाईल नं० बड़े अक्षरों के साथ उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। साथ ही, अग्निशमन सेवा का दूरभाष संख्या भी प्रदर्शित किया जाए।
8. **आपातकालीन द्वार** : अगलगी की घटना होने पर आकस्मिक निकास हेतु द्वार चिन्हित करते हुए इनके मार्ग को बाधामुक्त रखा जाए। साथ ही, कोरिडोर एवं रास्ते को भी बाधामुक्त रखा जाए।
9. **निकासी योजना (Evacuation Plan)**:- आपातकालीन स्थिति में निकासी योजना के तहत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभाग के सभी तलों पर मैप प्रदर्शित करें।
10. **फ्लोरोसेंट स्ट्रीप** : भवनों के सभी तलों पर निकास मार्ग में फ्लोरोसेंट स्ट्रीप लगाया जाय, ताकि विद्युत् आपूर्ति बंद होने पर भी निकास मार्ग प्रदर्शित होता रहे।
11. **प्रशिक्षण** : प्रत्येक तल पर चिन्हित व्यक्तियों को Fire Extinguisher को चलाने का प्रशिक्षण अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा दिया जाए। जागरूकता एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से समय-समय पर भवनों में मॉकड्रिल का आयोजन भी किया जाए।
12. **क्या करें क्या ना करें** : आग लगने की स्थिति में क्या करें/क्या ना करें का बोर्ड भवन के सभी तलों पर लगाया जाए (अनुलग्नक-‘क’)

अतः अनुरोध है कि बहुमंजिला इमारतों/भवनों में अगजनी की घटना की रोकथाम हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार एवं दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

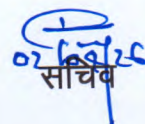
विश्वासभाजन,


सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-05/2024/.....962/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-03/04/2026
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

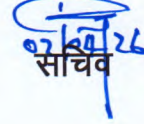
ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-05/2024/.....962/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-03/04/2026
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(अग्निकांड)-05 / 2024 / / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक- 03/04/2026
प्रतिलिपि: महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम
सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।


सचिव

ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(अग्निकांड)-05 / 2024 / / आ0प्र0 पटना-28, दिनांक- 03/04/2026.
प्रतिलिपि: सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार,
पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सचिव